बिल का सारांश

हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन बिल, 2023

- हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन बिल, 2023 को 28 अगस्त, 2023 को हरियाणा विधानसभा में पेश किया गया। यह बिल हरियाणा किशोर धूम्रपान एक्ट, 1918 को निरस्त करने का प्रयास करता है। एक्ट 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचने वालों पर जुर्माना लगाता है। इसके अलावा यह एक्ट 16 वर्ष से कम उम्र के लड़कों से तंबाकू जब्त करने का अधिकार देता है, अगर वे किसी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते पाए जाते हैं। बिल के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि 1918 के एक्ट के सभी प्रावधान सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का रेगुलेशन) एक्ट, 2003 के अंतर्गत आते हैं।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अर्पिता मलिक
arpita@prsindia.org

28 अगस्त, 2023